लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल– 462023

क्रमांक/UCR/C/157 /2306 दिनांक 28-12-2022

प्राथमिक शिक्षक हेतु दस्तावेज अपलोड के संबंध में सूचना

प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 19.10.2022 के अनुक्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रावधिक चयन सूची (fresh vacancy) , प्रावधिक चयन सूची(बेकलॉग), प्रावधिक प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही हैं ।

2. सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे 29 दिसम्बर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक दस्तावेज अपलोड करें। समयावधि में दस्तावेज अपलोड न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाणपत्र बनवा लें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाणपत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य/अमान्य की जाएगी।

4. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी/मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस इत्यादि न करें। ऐसा करना चयन प्रकिया को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की श्रेणी में माना जाएगा तथा इस आधार पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त भी की जा सकेगी। चयन प्रकिया के संबंध में शिकायत/कठिनाई हो तो वे विभाग के ईमेल mpdpiabhyavedan@gmail.com पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।

6. यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वे trc. mponline. gov.in पर दी गई जानकारी का अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा/समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755–6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल trc.mponline.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जानकारी अथवा सूचना पृथक से प्रदर्शित की जाएगी।

8. प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.